संख्या-70/2016/1048/41-2016-29 यो0/16

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 14 जून, 2016**

विषय- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर की 04 योजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-377/6-1-1(748)/2016, दिनांक 14-06-2016, पत्र सं0-378/6-1-1(749)/2016, दिनांक 14-06-2016, पत्र सं0-379/6-1-1(762)/2016, दिनांक 14-06-2016 एवं पत्र सं0-380/6-1-1(761)/2016, दिनांक 14-06-2016, द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आगणन के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद-गाजीपुर की कॉलम-2 में अंकित योजनाओं के लिए कॉलम-3 में अंकित कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कालम-4 में उल्लिखित धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति तथा कॉलम 5 में अंकित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	**योजनाओं का नाम**	**कार्यदायी संस्था**	**प्रशासकीय स्वीकृति**	**वित्तीय स्वीकृति**
-1-	**-2-**	**-3-**	**-4-**	**-5-**
1	जनपद-गाजीपुर के तहसील जमानियॉ के अन्तर्गत दिलदार नगर में चन्द्रशेखर जी स्मारक म्यूजियम का निर्माण कार्य।	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, वाराणसी वाराणसी, इकाई-2 ।	298.44	149.22
2	जनपद-गाजीपुर के तहसील जमानियॉ के अन्तर्गत दिलदार नगर बाजार में स्थित तालाब का विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, वाराणसी, वाराणसी, इकाई-2।	108.51	108.51
3	जनपद-गाजीपुर के तहसील जमानियॉ के अन्तर्गत दिलदार नगर बाजार में अल-दीनदार शम्सी म्यूजियम का निर्माण एवं स्थल के पर्यटन विकास का कार्य।	सिंचाई निर्माण खण्ड वाराणसी	66.89	66.89
4	जनपद-गाजीपुर के तहसील जमानियॉ के अन्तर्गत कर्मनाशा नदी के बांये तट पर चन्द्रशेखर जी अमौरा घाट के निर्माण एवं स्थल के पर्यटन विकास का कार्य।	सिंचाई निर्माण खण्ड वाराणसी	158.50	79.25

http://shasanadesh.up.nic.in

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

3- कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

4. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5. संबंधित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी द्वारा नियमित रूप से योजना का अनुश्रवण किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

<u>संख्या-70/2016/1048(1)/41-2016 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मण्डलायुक्त, वाराणसी/जिलाधिकारी, गाजीपुर ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
7- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, वाराणसी।
8- मुख्य अभियन्ता (सोन) सिंचाई निर्माण मण्डल वाराणसी।
9- अपर परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम इकाई-2, वाराणसी।
10- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

http://shasanadesh.up.nic.in

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in